

## पार्श्व प्रविष्टि

ऐसे शिक्षार्थी जिन्होंने स्नातक प्रथम या द्वितीया वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की परीक्षा किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, उन्हें उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के समतुल्य पाठ्यक्रम - यथा वे पाठ्यक्रम या विषय जिनमें पूर्व की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है - में द्वितीया या तृतीया वर्ष में प्रविष्टि निम्न प्रावधानों के आधार पर देय होगी :-

1. पार्श्व प्रविष्टि के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ पूर्व संस्थान / विश्वविद्यालय के तत्संबंधित कार्यक्रम के संबंधित वर्ष / वर्ष का पाठ्यक्रम स्व- हस्ताक्षरित कर संलग्न करना होगा।

2. समतुल्यता के लिये पूर्व संस्थान में पूर्ण किये पाठ्यक्रम का 75 प्रतिशत भाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से मिलान होने पर ही प्रवेश मान्य होगा।

3. यदि पूर्व संस्थान के पाठ्यक्रम का 75 प्रतिशत से कम एवं 50 प्रतिशत तक भाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से मिलता हो तो शिक्षार्थी को एक अतिरिक्त प्रश्नपत्र देना होगा एवं 50 प्रतिशत से कम हो तो शिक्षार्थी को प्री एन्ट्री क्वालीफाईंग कोर्स करना होगा।

4. पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थी द्वारा पूर्व संस्थान के प्राप्तांकों को उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रतिशत में परिवर्तित किया जायेगा जो अंतिम अंकतालिका में तथा शिक्षार्थी की श्रेणी निर्धारण हेतु मान्य होगा।

5. पार्श्व प्रविष्टि से उपाधि प्राप्त छात्र विश्वविद्यालय पद के लिये अनुमन्य नहीं होंगे।

6. पार्श्व प्रविष्टि से संबंधित आवेदन पर केवल विश्वविद्यालय मुख्यालय में विचार किया जायेगा और अध्ययन केन्द्रों को ऐसे आवेदन पत्र मुख्यालय भेजने होंगे, समतुल्यता समिति की संस्तुति के उपरान्त ऐसे शिक्षार्थी का प्रवेश अपने अध्ययन केन्द्रों में कर सकते हैं।

7. उसी कक्षा में प्रवेश लेने वाले अन्य शिक्षार्थी के लिये अध्ययन एवं मूल्यांकन की जो व्यवस्था होगी पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थी के लिये भी वही लागू होगी।

8. विश्वविद्यालय के अभ्यर्थी के लिये यह सुविधा पूर्ववत् रहेगी तथा अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी के मामले में एक विशिष्ट समिति अभ्यर्थी की समतुल्यता, प्रमाण पत्रों एवं प्रवेश के सम्बंध में निर्णय लेगी।

## Lateral Entry

Those learners who have passed first or second year of graduation or first year of Post Graduation from any other University may also seek admission through lateral entry in equivalent programmes of Uttarakhand Open University under the following recommendations:

1. A self-signed copy of the syllabus of the concerned course of the related year/years of the previous institution/University should be attached with the application for the lateral entry.
2. For the purpose of equivalence admission shall be allowed only when the syllabus of the completed course from the previous institution gets matched with the syllabus of the Uttarakhand Open University up to the extent of 75 percent.
3. Equivalence Committee may make it compulsory for the applicant that if the previous institution's syllabus matches less than 75 per cent but more than 50 per cent the applicant shall have to clear an extra paper and if the syllabus matches less than 50 per cent the applicant shall have to pass a pre-entry qualifying course.
4. In case of the students admitted through the lateral entry, the marks obtained by them from the previous institution shall be converted into the percentage as per the practice in vogue in Uttarakhand Open University for issuing the mark sheet and for determining the division of the student.
5. Students obtaining degree through the lateral entry shall not be entitled for the University Medals.
6. Applications for the lateral entry shall be considered in the University Headquarters only and Study centers shall have to send such applications to the Headquarters, study centers may admit such learner after the recommendation of the equivalence committee.
7. The system of study and evaluation for the students admitted through the lateral entry shall remain the same as for the other learner of the same class.
8. For the students of Uttarakhand Open University this facility shall remain the same as was in vogue in the University and in the cases of students passed from the other institution/University a special committee shall take decision with regard to equivalence, certificates and admission.